

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष— लेयान तोपनो बगैरह।

बनाम

वाद सं० 30/2021

द्वितीय पक्ष— कल्याण तोपनो बगैरह।

आदेश की क्र० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
10/12/21	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं० 15/2021 दिनांक 22/04/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) लेयान तोपनो उम्र 42 वर्ष (2) ऐमन तोपनो उम्र 55 वर्ष (3) धर्मदास तोपनो उम्र 40 वर्ष पिता तीनो स्व० जिदन तोपनो सा० कोण्डेकेर थाना कामडारा जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) कल्याण तोपनो उम्र 50 वर्ष पिता जोन तोपनो (2) सबन तोपनो उम्र 30 वर्ष पिता धनमसीह तोपनो (3) रूपेश तोपनो उम्र 22 वर्ष पिता स्व० असिपर तोपनो (4) अनुग्रह तोपनो उम्र 19 वर्ष पिता स्व० असियन तोपनो चारो सा० कोण्डेकेरा थाना कामडारा जिला गुमला के बीच मौजा कोण्डेकेरा बगिचाटोली अन्तर्गत खाता सं० 198 प्लॉट सं० 597 रकबा 1.20 एकड़ भूमि को लेकर उभय पक्षों के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- वाद की कार्रवाई के दौरान द्वितीय पक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है साथ ही वाद के कार्रवाई की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।   अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)।	